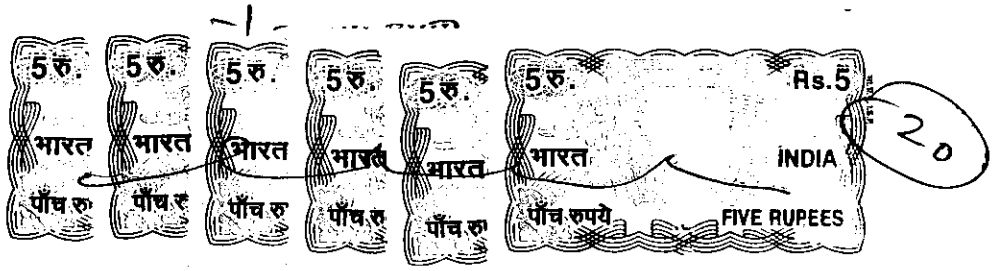


20

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1— विजय पिता बैजनाथ छिरौलया, R 4071-I-16

2— विवेक पिता बैजनाथ छिरोलया,

निबासी— ग्राम मढ़ियादो, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

वनाम .....आवेदक

1— म0प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधि0 हटा, जिला दमोह .... अनावेदक

2— ग्राम पंचायत मड़ियादो द्वारा सरपंच, .....तरतीबी अनावेदक

**निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 रा0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—**

**आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—**

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 47/बी121/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं, जो समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक कमांक 02 द्वारा एक आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी हटा, तथा तहसीलदार हटा, के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया है। कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मडियादों स्थित भूमि खसरा नंबर 130/1 के कुछ भाग पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अतः वाद भूमि से कब्जा हटवाया जाबे। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके दिनांक 30/08/16 को रा0 नि0 से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बावद दिनांक 05/09/2016 की तिथि नियत थी। तदुपरांत दिनांक 08/09/16 को नायब तहसीलदार हटा द्वारा प्रकरण मे रा0 नि0 प्रतिवेदन दिनांक 06/09/16 के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रकरण निराकरण बावद अनुविभागीय अधिकारी हटा के न्यायालय को प्रेषित कर दिया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सुनवाई में लेकर आवेदकगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर, आवेदकगण, अनावेदकगण, रा0 नि0 पटवारी आदि का परीक्षण प्रतिपरीक्षण किया बगैर दिनांक 14/10/16 को प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुए, वादभूमि पर से आवेदकगण का कब्जा तत्काल हटाये जाने का

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
निवास- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4071 /I/2016 जिला – दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>**विजय छिरौल्या वनाम म0 प्र0 शासन** | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-12-2016 | 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 47ब/121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क श्रवण किये , निगरानी के साथ संलग्न सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।<br><br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अनावेदक कमांक 02 द्वारा एक आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी हटा, तथा तहसीलदार हटा जिला दमोह, के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि, आवेदकगण द्वारा ग्राम मडियादो स्थित भूमि खसरा नंबर 130/1 के कुछ भाग पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अतः वादभूमि से कब्जा हटवाया जाबे। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके दिनांक 30/08/16 को रा0नि0 से प्रतिवेदन प्राप्त करने वावद दिनांक 05/09/2016 की तिथि नियत थी, दिनांक 08/09/16 को नायब तहसीलदार हटा द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 06/09/16 के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रकरण निराकरण वावद अनुविभागीय अधिकारी हटा के न्यायालय को प्रेषित कर दिया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सुनवाई में लेकर आवेदकगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही, आवेदकगण, अनावेदकगण, रा0नि0, पटवारी आदि का परीक्षण प्रतिपरीक्षण किये बगैर ही दिनांक 14/10/16 को प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुए, वादभूमि पर से आवेदकगण का कब्जा तत्काल हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया है। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। | |

3— आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द पटैरिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निराकृत संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें प्रस्तावित कार्यवाही ग्राम पंचायत मडियादों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06/06/2016 एवं 21/08/2016 के आधार पर प्रारंभ की गई है। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12/08/2016 को प्रकरण कमांक 407/ब121/2015—16 दर्ज करके दिनाकं 30/08/2016 को राजस्व निरीक्षक/पटवारी से प्रतिवेदन लेनें बावद प्रकरण दिनांक 05/09/2016 को नियत किया। जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 06/09/2016 को एक प्रतिवेदन नायब तहसीलदार वृत मडियादो के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके साथ सूचनापत्र, पंचनामा एवं नक्शा ट्रेस भी संलग्न किया गया। जिनके आधार पर दिनांक 08/09/2016 को नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक विजय द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति को अनदेखा करते हुए अस्थायी स्थगन आदेश जारी करके प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को निराकरण वावद भेज दिया। जिसे उनके द्वारा दिनांक 16/09/2016 को आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये तथा प्रकरण में दिनांक 14/10/2016 को आदेश पारित कर दिया।

4— अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस रानि प्रतिवेदन दिनांक 06/09/2016 के आधार पर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। उसके साथ संलग्न सूचनापत्र दिनांक 05/09/2016 पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि विजय, विवेक पिता बैजनाथ तथा टीकाराम पिता भोला को सूचित किया। सूचनापत्र में हस्ताक्षर करनें से मना किया। किन्तु उस पर किसी स्वतंत्र साक्षी के गवाह के रूप में हस्ताक्षर नहीं है। सूचनापत्र दिनांक 05/09/2016 के अगले ही दिवस दिनांक 06/09/2016 को संलग्न प्रतिवेदन एवं पंचनामा में सीमांकन करना बताया गया है। पंचनामा पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रतिवेदन मे आवेदक कमांक 01 विजय का खसरा नंबर 130/1 म0प्र0 शासन (आबादी) के अंश भाग 0.04 हैक्टर पर निर्माण पाया गया बताया गया है। जिसके ही आधार पर कार्यवाही करके प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रतिवेदन के साथ मात्र पंचनामा सूचनापत्र एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है । फील्डबुक इत्यादि संलग्न नहीं है। जिससे सीमांकन संदिग्ध हो जाता है। बिना फील्डबुक संलग्न किये सीमांकन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। सीमांकन करनें से कम से कम सात दिवस पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों एवं सीमांत लोगों को सूचनापत्र जारी करना चाहिये अन्यथा सीमांकन दूषित हो जाता है। इस प्रकरण में भी मात्र एक दिन पूर्व सूचनापत्र जारी किये गये हैं, जो आवेदकगण पर तामील नहीं है। इन दस्तावेजों को दोनों अधिनस्थ

न्यायालयों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 64–68 के तहत प्रदर्श कराके उन पर प्रतिपरीक्षण का अवसर आवेदकगण को प्रदान नहीं किया गया है, जिस कारण यह साक्ष्य मे ग्राहय नही हैं। ए0आई0आर0 1954 बाम्बे 305 में उपरोक्त व्यवस्था प्रतिपादित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नही किया है। उनकें द्वारा जो जबाव व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। उनको क्यों अमान्य किया गया, आदेश मे स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदकगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक बिक्रयपत्र खसरा नंबर 27, रकवा 0.19 का दिनांकित 24 /04/1956 का, खसरा नंबर 27 का 1910–11 की मिसल बंदोबस्त तथा 1996–97 से 2001 तक का खसरा पांचशाला तथा ग्राम पंचायत मडियादो के निर्माण कार्य कराने की अनुमति दिनांक 20/11/2013 प्रस्तुत किये थे। जो जबाब प्रस्तुत किया गया था उसमें भी लेख किया था कि बंदोबस्त रिकार्ड की त्रुटि नक्शा में हुई है, जिसे सुधारा जाये तदुपरांत आदेश पारित किया जाये। जिसे अमान्य करके प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण द्वारा सन 1910–11 तथा 1990–91 का नक्शा तथा रीनंबरिंग पर्चा का अवलोकन करनें पर सही प्रतीत होती है।

5– अधिनस्थ न्यायालय/ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस धारा के तहत आदेश पारित किया है , आदेश में स्पष्ट नहीं है। रानि प्रतिवेदन एवं अभिलेख को अवलोकन करनें से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है। आबादी भूमि पर संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी हटा जिला दमोह द्वारा प्र0क0 47ब/121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मड़ियादों को आदेशित किया जाता है कि, आवेदकगण का जब्तशुदा सामान तत्काल बापिस करके उसका कब्जा पूर्ववत पुर्नस्थापित कराया जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य

**राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर**